न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 09 / 2024

बउनवान

सुलोचना बाई आयु 54 साल पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज० पेशा उचित मूल्य दुकानदार—ग्राम पंचायत जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०

(अपीलांटा)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) (रेस्पोंडेंट)

अपील, अन्तर्गत धारा—22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत।

उपस्थिति :—1. श्री रामसिंह ऐरवाल, अभिभाषक (अपीलांटा)
2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 08.01.2025

1— अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 16.4.2024 को आदेश पारित कर समस्त प्रतिभूति राशि जप्त की जाकर प्राधिकार पत्र संख्या 84 / 2003 तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। उक्त आदेश अधिनस्थ न्यायालय कानून व तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का वितरण का विनियमन का आदेश 1976 की धारा 8 के प्रावधानो का पूर्णतः पालन नहीं किया। निर्णय अलग से पारित किया गया। आरोपित बिन्दुओ का एवं कारण बताओ नोटिस का भी अपीलान्टा ने जवाब दिया गांव के सम्मानीय व्यक्तियों ने भी अनुशंषा की परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना कर आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि प्रवर्तन निरीक्षक अटरू की रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत जीरोद की अनुशंषा के आधार पर अपीलान्टा का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। गांव के लोगो की अनुशंषा की विवेचना नहीं की राशनकार्ड धारी उपभोक्ताओ से पूछताछ नहीं की बयान नहीं लिये। अपीलान्टा को वक्त जांच न तो बुलवाया एवं न ही उसके सामने जांच की। वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत जीरोद के प्रतिद्वंदी के रूप में अपीलान्टा के जेठ मुकट ने सरपंच का चुनाव लडा था। जिसमे अपीलान्टा व उसके पति राजेन्द्र प्रसाद मीणा ने अपने भाई / जेठ मुकट के सरपंच पद हेतु प्रचार प्रसार किया था इसलिये ग्राम पंचायत जीरोद के वर्तमान सरपंच रामलखन मीणा अपीलान्टा व उसके पति से राजनैतिक द्वेषता रखता है, इसी रंजिश को लेकर ग्राम पंचायत जीरोद के सरपंच ने गावं वालो को बहका फुसलाकर अपीलान्टा के खिलाफ भडका कर अपीलान्टा का लाइसेन्स निरस्त करवाया। जबकि अपीलान्टा द्वारा हमेशा उचित मूल्य दुकानदार लाईसेन्स की शर्तों व नियमो की पालना करते हुये राशन सामग्री का समय समय पर वितरण किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपीलान्टा का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित मे होगा। अतः अपीलान्टा की ओर से सादर निवेदन है अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 16.4.2024 को निरस्त फरमाने की कृपा करे एवं अपीलान्टा का उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जीरोद तहसील अटरू का प्राधिकार पत्र बहाल करने की कृपा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व पेरोकार रसद सुनी गयी।

3– बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टा को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। रेस्पोडेन्ट ने अपीलांटा को 422.34 क्विं. गेंहू के गबन का दोषी माना है। जिला रसद अधिकारी, बारां ने प्रवर्तन निरीक्षक अटरू की रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत जीरोद की अनुशंषा के आधार पर अपीलान्टा का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। गांव के लोगो की अनुशंषा की विवेचना नहीं की राशनकार्ड धारी उपभोक्ताओ से पूछताछ नहीं की बयान नहीं लिये। अपीलान्टा को वक्त जांच न तो बुलवाया एवं न ही उसके सामने जांच की। वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत जीरोद अपीलान्टा व उसके पति से राजनैतिक द्वेषता रखता है, इसी रंजिश को लेकर ग्राम पंचायत जीरोद के सरपंच ने गावं वालो को अपीलान्टा के खिलाफ भडका कर अपीलान्टा का लाइसेन्स निरस्त करवाया। जबकि अपीलान्टा द्वारा हमेशा उचित मूल्य दुकानदार लाईसेन्स की शर्तों व नियमो की पालना करते हुये राशन सामग्री का समय समय पर वितरण किया है। अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 16.04.2024 को निरस्त फरमाकर अपीलान्टा का प्राधिकार पत्र बहाल करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4– इसके विपरीत पेरोकार रसद ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांटा को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांटा अधीनस्थ न्यायालय में जर्ये प्रतिनिधि उपस्थित हुई तथा अपीलांटा द्वारा जवाब नोटिस भी प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उनके द्वारा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांटा निरस्त फरमाई जावे।

5– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांटा का तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टा को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलांटा का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। जबकि अपीलांटा को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। तथा अपीलांटा ने अधीनस्थ न्यायालय में जर्ये प्रतिनिधि उपस्थित होकर जवाब नोटिस भी पेश किया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अभिभाषक अपीलांटा ने यह भी कथन किया कि पोश मशीन खराब होने से अपीलांटा ने बिक्री रजिस्टर में विवरण अंकित कर गेंहू का वितरण किया है, परन्तु ऐसा करने के लिये अपीलांटा ने सक्षम स्तर पर ना तो सूचना दी तथा ना ही इस हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने से संबंधित कोई दस्तावेजात ही पेश किये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है तथा अपील अपीलांटा सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांटा की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:21 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)